

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी: बीना महावर, आर०ए०एस०)

पत्रावली संख्या : 15/2020 प्रार्थना पत्र (खा.सु.अ.)

जगदीश प्रसाद गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
भरतपुर।

आवेदक

बनाम

कुंवरसिंह पुत्र शिवराम जाति प्रजापत उम्र 61 वर्ष मालिक एवं विक्रेता महारावर दूध उत्पादक
सहकारी समिति, महारावर तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर निवासी गांव महारावर तहसील कुम्हेर
जिला भरतपुर।

गैरसायल

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 26(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं
नियम 2011.

उपस्थित :- 1. प्रार्थी (सायल)

2. गैरसायल स्वयं

निर्णय

दिनांक : 19.01.2021


आवेदक द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक
अधिनियम 2006 के अन्तर्गत विरुद्ध गैरसायल दिनांक 24.07.2020 को प्रस्तुत किया गया है।
गैरसायल को नोटिस जारी किया गया। गैरसायल दिनांक 19.01.2021 को उपस्थिति हुआ।
इस्तगारा की नकल गैरसायल को दी गई। नियत दिनांक 19.01.2021 को गैरसायल को
इस्तगारा में अंकित आरोप सुनाया गया कि दिनांक 10.02.2020 को प्रातः 11.00 बजे

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
भरतपुर (राज.)

गैरसायल की फर्म महारावर दुग्ध उत्पादक समिति महारावर कुम्हेर का निरीक्षण किया गया। वक्त निरीक्षण फर्म पर एल्यमिनियम की 4 कैनों में लगभग 160 लीटर भैस का दूध आम जनता को विक्रय करने हेतु रखा था। जिसमें शक होने पर नियमानुसार मौके पर 2 लीटर भैस का दूध 80/-रूपये में क्रय किया गया तथा उसमें से नमूना लिया गया तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर द्वारा खाद्य विश्लेषक अलवर के यहां जांच हेतु भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस-92/एक्ट/2020/162 दिनांक 27.02.2020 द्वारा उक्त भैस के दूध का नमूना अवमानक स्तर (Sub Standard) प्रकृति का पाया गया है। गैरसायल के द्वारा अवमानक स्तर का भैस का आम जनता को विक्रय कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26(2)(ii) एवं नियम व विनियम 2011 का उल्लंघन किया गया है।

आरोपो को सुन व समझकर गैरसायल ने कथन किया कि यह प्रोडैक्ट मानव सेवन के लिये कतई हानिकारक नहीं है क्योंकि प्रार्थी काफी समय से भैस वालो से दूध लेकर आम लोगों को विक्रय करता चला आ रहा है। जांच में जो कमिया पायी गई है उन्हे सहवनवश एवं गलती स्वरूप अप्रार्थी स्वीकार करता है। जिसका मेरे द्वारा तत्समय ही सुधार कर लिया गया है। गैरसायल की यह त्रुटि सहवन से होने के कारण आरोप को स्वीकार करता है। गैरसायल ने स्वयं को छोटे स्तर का व्यापारी होना बताया है। भविष्य में गैरसायल अधिक सजगता बरतते हुये किसी भी खाद्य पदार्थ का आम जनता को विक्रय करेगा। अतः गैरसायल के प्रति नरम रुख अपनाते हुए जुर्माना किये जाने की प्रार्थना की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। गैरसायल के कथनों पर गौर किया। वक्त निरीक्षण दिनांक 10.02.2020 को गैरसायल की फर्म महारावर दुग्ध उत्पादक समिति महारावर कुम्हेर पर संग्रहित 160 लीटर भैस के दूध का नमूना लिया गया है। जो खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट दिनांक 27.02.2020 में अवमानक स्तर (Sub Standard) प्रकृति का पाया गया है। गैरसायल के द्वारा भैस वालो से दूध लेकर विक्रय करना बताया। गैरसायल के द्वारा भविष्य में अधिक सजगता से खाद्य पदार्थो का आम जनता के लिये विक्रय किया जाना दौराने सुनवाई स्वीकार किया गया है। ऐसी स्थिति में गैरसायल को भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता नहीं करने की चेतावनी दी जाती है। गैरसायल के द्वारा उक्त अनियमितता किया


न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
भरतपुर (राज.)

जगदीश प्रसाद गुप्ता बनाम कुंवर सिंह
प्रार्थना पत्र (खा.सु.) 15/2020

जाना स्वीकार किया गया है। अतः उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत गैरसायल के द्वारा की गई अनियमितता के आधार पर 5000/- रुपये (पांच हजार रुपये) अर्धदण्ड से दण्डित किया जाता है। गैरसायल अर्धदण्ड की राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार की जाकर बाद पूर्ति दाखिल दफ़्तर हो।

निर्णय आज दि. 19.01.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।



(बीना महावर)
न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)